सं0–658 / XXVIII –5– 2005–22 / 2005

प्रेषक,

अमर सिंह,
उप सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी
ऊधमसिंह नगर / पिथौरागढ़ / चमोली / देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5

देहरादून: दिनांक :14 फरवरी, 2006

विषय: वर्ष 2005–06 में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प / 1 / एस.ए.डी. / 17 / 18 / 19 / 21 / 2005 / 15796 दिनांक 25.07.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2005–06 में राज्य के विभिन्न जनपदों में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के कुल 4 (चार) भवनों के निर्माण कार्य हेतु संलग्नकानुसार कुल रू0 1,44,01,000–00 (रू0 एक करोड चवालीस लाख एक हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में संलग्नानुसार रू0 78,44,000–00 (रू0 अठहत्तर लाख चवालीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2– कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्ट्यों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3– धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् निर्माण इकाई परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, तथा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, पिथौरागढ को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानों मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

5– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों मे जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7 कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक हैं। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

11– आगणन को जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय,उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया है।

13– निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टयों मे बदलाव जाता है तो इस दशा मे शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14– निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू–भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू–भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15 उक्त भवनों के कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़ें ।

16 उक्त व्यय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक मे अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय –02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें एलोपैथी, 110– अस्पताल तथा औषधालय 91–जिला योजना, 01–राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनो का निर्माण 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला

जायेगा तथा संलग्न पुनर्विनियोजन प्रपत्र–बी0एम0–15 के कॉलम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा ।

17– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–478 / वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग–3 / 2006 दिनांक 03.02.2006 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या– 658(1) / XXVIII (5) 2005–22 / 2005 व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देरादून ।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून
3– जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर / पिथौरागढ / चमोली / देहरादून।
4– मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर / पिथौरागढ / चमोली / देहरादून।
5– महानिदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तरांचल देहरादून।
6– परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून ।
7– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, पिथौरागढ ।
8– निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।
9– वित्त अनुभाग–2 / नियोजन विभाग / एन.आई.सी.।
10– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

शासनादेश सं0–612/XXXVIII–5–2005–24/2005 दिनांक 1/12/2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में

क्रमांक	रा0ऐ0चिकि0 का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	लागत	वर्ष 2005–06 में स्वीकृत धनराशि
1	रामनगर	ऊधमसिंहनगर	पेयजल निगम	32.45	16.33
2	बिरतोली	पिथौरागढ़	ग्रा0अभि0सेवा	33.24	15.00
3	गोख	चमोली	पेयजल निगम	40.60	15.00
4	रारोना	देहरादून	पेयजल निगम	37.72	32.11
			योग	144.01	78.44

(रू0 अठहत्तर लाख चवालीस हजार मात्र)

(अतर सिंह)
उप सचिव

शासनादेश 658(1)/XXVIII-5-2005-22/2005 दिनांक ... 2006 का संलग्नक

प्रशासनिक विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (वित्तीय वर्ष 2005-06)

बी0एम0-15 ... 158 अनुदान संख्या-12

नियंत्रक अधिकारी- ... महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ...

उत्तरांचल देहरादून

पुनर्विनियोजन का आदेश पत्र (हजार रुपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि को स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुनर्विनियोजन के बाद के स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोजन के बाद अवशेष धनराशि (1-5)	औचित्य
1	2	3	4	5	6	7	8
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय				4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत			राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों का भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि कम पड़ने के कारण अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। रुद्रपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण योजना के अन्तर्गत आवश्यकता से अधिक प्राविधान होने के कारण धनराशि की बचत है।
आयोजनागत				02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें			
02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें				110-अस्पताल तथा औषधालय			
105-एलोपैथी				91-जिला योजना			
05-रुद्रपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण				9301-राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण			
24-वृहत निर्माण कार्य-65000	100000	-	47390	24-वृहत निर्माण कार्य-7844	17844	57156	
योग- 65000	100000	-	47390	7844	17844	57156	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोजन में बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(अतर सिंह)

उप सचिव

(14)

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग
संख्या-...../ वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-3/2005
देहरादून: दिनांक: जनवरी, 2006

पुनर्विनियोजन स्वीकृत

एल0एम0पन्त
अपर सचिव, वित्त

सेवा में

महालेखाकार,
उत्तरांचल(लेखा एवं हकदारी)
ओबरॉय बिल्डिंग,
मालसी सहारनपुर रोड, देहरादून ।

सं0-658(1)/XXVIII-5-2005-22/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल ।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
3. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
4. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अतर सिंह)